



**आर ई सी**  
**REC**

असीमित ऊर्जा अनन्त संभावनाएँ  
Endless energy. Infinite possibilities

**आर ई सी लिमिटेड**  
(Formerly Rural Electrification Corporation Limited)  
(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय: Core-4, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003, India

कॉर्पोरेट ऑफिस: प्लॉट नं. 1-4, सेक्टर-29, गुरुग्राम (हरियाणा) -122001

Website: [www.recindia.com](http://www.recindia.com)

CIN: L40101DL1969GOI005095 | GSTIN: 07AAACR4512R1Z3

दिनांक: 11 जनवरी, 2022

परिपत्र Circular: मानव संसाधन 04/2022

विषय: निगम के सीधे भुगतान स्कीम के तहत सम अल्टिमेट मेडीकेयर अस्पताल, भुवनेश्वर का इम्पैनलमेन्ट के संबंधी में।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निगम के कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए निम्नलिखित अस्पताल को इंडोर चिकित्सा उपचार के लिए इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से सीधे भुगतान हेतु स्कीम के अन्तर्गत, इम्पैनल कर दिया गया है।

The Competent Authority has approved empanelment of the following Hospital for obtaining Indoor medical treatment by the employees/ex-employees and their dependent family members, with the Corporation under "Direct Payment" Scheme w.e.f. date of issue of this circular:-

क्र.सं. S.NO.	अस्पताल का नाम एवं पता NName and address of the hospital	किस बीमारी के लिए है Type of treatment	टिप्पणी Remarks(Tariff)
1.	2.	3.	4.
1.	Sum Ultimate Medicare Hospital - A Unit of Sikshya 'O' Anusandhan ) Plot no. C/6, K-8 Kalinga Nagar, Ghatikia Bhubaneswar-751003	General Disease	As per their schedule of charges, restricted to Sir Ganga Ram Hospital schedule of charges, whichever is less. Subject to entitlement of employee. Discounts offered: Corporate discount of 15% on OPD, Investigations and 10% discount on total bill excluding Medicine, Consumables, Implants, Packages and out sourced Investigation in IPD services.

कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्य जो आरईसी चिकित्सा उपस्थिति नियमों के अन्तर्गत आते हैं। उपर्युक्त अस्पताल में भर्ती होकर इंडोर उपचार करा सकते हैं जिसके बिलों का भुगतान निगम के क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर द्वारा सीधे अस्पताल को किया जायेगा। इस कार्यालय के कार्यालय आदेश भाग-3 संख्या 64 दिनांक 08.10.2012 की शर्तों में कोई बदलाव नहीं है।

यह कार्यकारी निदेशक (मा.सं.) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(चरणजोत)  
सहायक अधिकारी (मा.सं.)

...2

संख्या: 4/4/96-मा.सं./31

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (वित्त)/मुख्य सतर्कता अधिकारी के सचिवालय, आरईसी लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, गुरुग्राम।
2. सभी कार्यकारी निदेशक/कंपनी सचिव, आरईसी लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, गुरुग्राम।
3. सभी मुख्य महाप्रबंधक, आरईसी लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, गुरुग्राम।
4. सभी वरिष्ठ मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक/सभी मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक, आरईसी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय/राज्य कार्यालय/अपर निदेशक आरईसीआईपीएमटी हैदराबाद।
5. सभी वरिष्ठ महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/मुख्य प्रबंधक/प्रबंधक आरईसी लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, गुरुग्राम।
6. वरिष्ठ महाप्रबंधक(आईटी) को इस अनुरोध के साथ कृपया इसे इंटरनेट एवं कर्मचारी पोर्टल पर डलवाने की व्यवस्था करवायें।
7. मुख्य प्रबंधक(वित्त-चिकित्सा), आरईसी लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, गुरुग्राम।
8. महासचिव, आरईसी, अधिकारी एसोशिएशन, आरईसी लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, गुरुग्राम।
9. महासचिव, आरईसी, कर्मचारी यूनियन, आरईसी लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, गुरुग्राम।
10. जनरल सेक्रेट्री(ओर्गनाई.) आरईसी के भूतपूर्व कर्मचारियों के वेलफेयर एसोशिएशन, W-99, चंद्रशेखर आज़ाद गली, बाबरपुर २ शाहदरा दिल्ली-110032
11. ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड।